

BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME

Term-End Examination

June, 2016

00189

ELECTIVE COURSE : ECONOMICS

EEC-19 : INDIAN FINANCIAL SYSTEM

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

Note :

- (i) *Answer five questions in all, selecting two questions from Section A, two questions from Section B. In Section C question no. 9 which is compulsory.*
- (ii) *Your answer to questions should be in about 400 words each in Section A, about 300 words in Section B and 150 words in Section C.*

SECTION - A

1. How do the commercial banks employ their funds ? Are there any statutory compulsions on them in this regard ? Explain. Describe the different forms in which loans are granted by banks. **12**
2. What are the different ways in which a company can raise its share capital ? Describe the procedures adopted for such purpose and mention their advantages and dis-advantages. **12**

3. What do you understand by External Commercial borrowings ? Why are such borrowings permitted by the Government ? Give the salient features of the guidelines issued by the Govt in this regard. 12
4. Distinguish between **any three** of the following : 12
- (a) Index Fund and Sector Fund
 - (b) Treasury bills and Commercial bills
 - (c) Carry Forward System and Rolling Settlement System
 - (d) Industrial Finance Corporation and International Finance Corporation

SECTION - B

5. Describe the salient features of the Liquidity Adjustment Facility provided by Reserve Bank of India to banks. What is its significance to banks ? 8
6. Discuss the meaning and significance of Credit Rating of debt instruments. What factors determine the default risk assessment ? Discuss. 8
7. Explain the restrictions imposed by SEBI on investments made by Mutual Funds. Why are such restrictions necessary ? 8
8. Explain the main factors that determine the interest rates. 8

SECTION - C

9. Explain **any two** of the following : 10
- (a) Euro Market
 - (b) Over the Counter Exchange of India
 - (c) Derivatives
 - (d) Insurance Regulatory and Development Authority

स्नातक उपाधि कार्यक्रम

सत्रांत परीक्षा

जून, 2016

ऐच्छिक पाठ्यक्रम : अर्थशास्त्र

ई.ई.सी.-19 : भारतीय वित्तीय व्यवस्था

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट:

- (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें दो प्रश्न खंड -क से, दो प्रश्न खंड-ख से होने चाहिए। खंड-ग का प्रश्न संख्या 9 अनिवार्य है।
- (ii) खंड-क में से चुने गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में और खंड-ख में से चुने गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में होना चाहिए। खंड-ग का प्रश्न संख्या 9 का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए।

खंड - क

1. वाणिज्यिक बैंक अपनी धन राशि का किस प्रकार से उपयोग करते हैं? क्या इस बारे में उनके ऊपर कोई वैधानिक अनिवार्यता लागू होती है? बतलाइए। बैंक किन-किन प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं? व्याख्या कीजिए। 12
2. एक कम्पनी किन-किन प्रकार से अपनी अंश पूँजी प्राप्त कर सकती है? इस प्रयोजन के लिए जो प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं उनका वर्णन कीजिए तथा उनके लाभ एवं हानियाँ बतलाइए। 12

3. विदेशी वाणिज्यक ऋण से आप क्या समझते हैं? सरकार ने 12
 ऐसे ऋणों को प्राप्त करने की स्वीकृति किस लिए प्रदान की है?
 इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किये हैं,
 उन की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइए।
4. निम्न में से किन्हीं तीन के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए : 12
 (a) अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) फंड तथा क्षेत्रीय (सेक्टर)
 फंड
 (b) राजकोषीय बिल एवं वाणिज्यक बिल
 (c) निपटान को आगे ले जाने की पद्धति एवं रोलिंग सेटलमेंट
 पद्धति
 (d) औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

खंड-ख

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को प्रदान तरलता समन्वय सुविधा 8
 (LAF) की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बैंकों के
 लिए इस सुविधा का क्या महत्व है?
6. ऋण विपत्रों की ऋण पात्रता निर्धारण प्रणाली (क्रेडिट रेटिंग) 8
 का अर्थ बतलाइए और इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए। ऋण
 की वापिस अदायगी में चूक होने की सम्भावना का अनुमान
 किस आधार पर किया जाता है? बतलाइए।
7. म्यूचल फंडों द्वारा किये जाने वाले निवेशों पर प्रतिभूति एवं 8
 विनिमय बोर्ड ने जो प्रतिबन्ध लगाये हैं उनका वर्णन कीजिए।
 ऐसे प्रतिबन्ध क्यों आवश्यक हैं?

8. ब्याज की दरों के निर्धारण करने में जो प्रमुख कारण प्रभाव डालते हैं उनका वर्णन कीजिए। 8

खंड-ग

9. निम्न में से किन्हीं दो की विवेचना कीजिए। 10
- (a) यूरो बाजार
 - (b) ओवर दी काउन्टर ऐक्सचेन्ज ऑफ इंडिया
 - (c) व्युत्पादित (अमौलिक) प्रपत्र (डेरीवेटिवज)
 - (d) बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकरण।
-